

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 18 / 2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025 / 20

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये श्री
उम्मेद मल टेलर खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा
(राज)

बनाम

1. श्री सलीम अहमद शेख पुत्र श्री सिराज अहमद शेख (विक्रेता) मैसर्स गुलशन मिल्क कम्पनी, प्लॉट नं. 4,5,6 मदारेश्वर रोड, बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती तसलीम कोसर पत्नी सलीम अहमद शेख (मालिक) मैसर्स गुलशन मिल्क कम्पनी, प्लॉट नं. 4,5,6 मदारेश्वर रोड, बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 07-07-2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 30-05-2025 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 10-10-2024 को दौराने निरीक्षण 1.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स गुलशन मिल्क कम्पनी, प्लॉट नं. 4,5,6 मदारेश्वर रोड, बांसवाड़ा पर पहुंचा तो वहाँ पर श्री सलीम अहमद शेख पुत्र श्री सिराज अहमद शेख (विक्रेता) मिले विक्रेता की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ टोण्ड मिल्क (नोबल) के 500 एम.एल. के 20 थैलियां (पैकेट) रखे हुए थे। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने एवं मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए टोण्ड मिल्क (नोबल) के 4 पैकेट कुल 2 लीटर वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 100/- रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा टोण्ड मिल्क (नोबल) को चार साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में डालकर उनमें परीक्षक फॉर्मलीन की 40-40 बूंदे प्रत्येक भाग में डालकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग में तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1922 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/484 दिनांक 13-11-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1190 दिनांक 22-10-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया टोण्ड मिल्क (नोबल) का नमुना कोड क्रमांक W-1922 Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। उक्त नमुने की पुनः जांच हेतु विक्रेता द्वारा पुनः निर्धारित समयावधि में अपील नही की गयी।

विक्रेता द्वारा टोण्ड मिल्क (नोबल) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 04-06-2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 07-07-2025 को अप्रार्थीगणों ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में अंकित आरोपों को स्वीकार कर निवेदन किया कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती की पुनरावृत्ति नही की जायेगी नरमी का रुख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाये जाने निवेदन किया।

आरोपीगणों की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/484 दिनांक 13-11-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1190 दिनांक 22-10-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया टोण्ड मिल्क (नोबल) का नमुना कोड क्रमांक W-1922 Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act

न्याय निणर्ण अधिकारी
(अति.जिला बालकटर)
बॉसवाडा (राज.)

2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाया गया टोण्ड मिल्क (नोबल) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री सलीम अहमद शेख पुत्र श्री सिराज अहमद शेख (विक्रेता), श्रीमती तसलीम कोसर पत्नी सलीम अहमद शेख (मालिक) मैसर्स गुलशन मिल्क कम्पनी, प्लॉट नं. 4,5,6 मदारेश्वर रोड, बांसवाडा (राज.) को रूपये 5000/- (अक्षरे पाँच हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 07-07-2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज.)

